

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित लैब टेक्नीशियन को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नामों के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री बद्री लाल वर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्रा0स्वा0केन्द्र हमीरपुर (टोडारायसिंह, टोंक)	08.09.1957	30.09.2017
2.	श्री भगवत सिंह पुरावत, लैब टेक्नीशियन	प्रा0स्वा.केन्द्र बागोर (ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल, भीलवाड़ा)	21.12.1957	31.12.2017
3.	श्री लालचन्द कनौजिलया, लैब टेक्नीशियन	अधीक्षक, कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	19.12.1957	31.12.2017

उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच की सूचना निम्न प्रकार है:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/ 261

दिनांक : 10.4.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-अजमेर।
3. अधीक्षक, कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/टोंक/भीलवाड़ा।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल, भीलवाड़ा/टोडारायसिंह, टोंक
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, हमीरपुर (टोडारायसिंह, टोंक)/बागोर(माण्डल, भीलवाड़ा)।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर।